न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

[redacted]– सुवालाल वगैरह बनाम हणमान आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 38 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
06.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 9 ता 14 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 8 ने अप्रार्थी सं0 1, 2, 7 व 8 की ओर से जवाब आवेदन पेश किया। वकील अप्रार्थी सं0 1 से 8 को अप्रार्थी सं0 3 से 6 की ओर से जवाब टी0आई0 हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब टी0आई0 पेश नहीं किये जाने पर जवाब टी0आई0 अप्रार्थी सं0 3 से 6 का जवाब बंद किया गया। बहस टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम अखैपुरा प0ह0 किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 559/245, 560/245 कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 एंव ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़,सीकर के आराजी ख0नं0 1548, 1549, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844 कुल किता 6 कुल रकबा 5.71 है0 तथा ग्राम पलसाना प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर के आराजी ख0नं0 1035, 1037, 1038 कुल किता 3 कुल रकबा 3.1000 है0 के भूमि के वर्तमन राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया गया था। चूंकि वकील अप्रार्थी सं0 9 ता 14 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 3 से 6 को जवाब टी0आई0 हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब टी0आई0 पेश नहीं किये जाने पर जवाब टी0आई0 बंद किया जाकर बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 44/2024 उनवानी सुवालाल वगैरह बनाम हणमान आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम अखैपुरा प0ह0 किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 559/245, 560/245 कुल किता 2 कुल रकबा 3.64 है0 एंव ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़,सीकर के आराजी ख0नं0 1548, 1549, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844 कुल किता 6 कुल रकबा 5.71 है0 तथा ग्राम पलसाना	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर के आराजी ख0नं0 1035, 1037, 1038 कुल किता 3 कुल रकबा 3.1000 है0 के भूमि के वर्तमन राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर